

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / प्रशा / स्था / 2016 / 311

दिनांक: 28/3/16

// अधिसूचना //

सर्व-संबंधित के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि समन्वय समिति की 90 वी बैठक 26 जून, 2015 में परिनियम 26 में सी.पी.एफ. स्कीम के अन्तर्गत ग्रेच्युटी का प्रावधान करने सम्बन्धी संशोधन स्वीकृत हो चुका है। इस संशोधन को जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.10.2015 पद क्रमांक 17 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 08.10.2015 पद क्रमांक 35 में अंगीकृत किया गया है।

परिनियम 26 में निम्न संशोधन किये गये हैं -

1. परिनियम 26 का नाम Provident Fund के स्थान पर Provident Fund and Gratuity मान्य किया गया।
2. परिनियम 26 में निम्न प्रावधान जोड़ा गया -
कण्डिका - 11

The employee who have opted under CPF and who are on regular pensionable establishment of University appointed before 1st January 2005 shall be paid gratuity on the same scale and conditions as applicable to the other employees of University who have opted for pension under statute 37.

Provided that no gratuity shall be paid if employee. resigns or his services are terminated. Provided further that any amount out standing against his name or any amount under liability incurred by such employees shall be deducted from such gratuity.

उक्त परिनियम 26 की संशोधित प्रति संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय



कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष समस्त अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अधिकरीगण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
7. इंचार्जइंटरनेट, वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



उपकुलसचिव (प्रशासन)